[2019] 17 एस. सी. आर. 1013

एम/एस। यूनिकॉर्न उद्योग

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2019 की सिविल अपील संख्या 9237)

6 दिसंबर, 2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

1978 के अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क-वित्त अधिनियम, 2001 का कोई संदर्भ नहीं था जिसके द्वारा एन. सी. सी. डी. लगाया गया था, और 2004 और 2007 के वित्त अधिनियम प्रचलन में नहीं थे अधिसूचना में निम्नलिखित को शामिल करने पर विचार नहीं किया जा सकता था - शिक्षा उपकर और 2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों द्वारा उत्पाद शुल्क की प्रकृति में लगाया गया माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर-छूट वाली अधिसूचना के अभाव में

शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की प्रकृति में इस तरह के अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए, उन्हें छूट नहीं दी गई है।

तीन-मोदी रबर लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पीठ, जिसके बाद तीन अन्य-रीटा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में न्यायाधीश-इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा गया।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1. वर्तमान में जारी अधिसूचना दिनांक 9.9.2003

मामला यह स्पष्ट करता है कि 1957 के अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क और 1978 के अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के संबंध में 1944 के अधिनियम की धारा 5 ए के तहत छूट दी गई थी। इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि इसमें सीमित प्रावधान किए गए थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल उसमें निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत छूट। वित्त अधिनियम, 2001 का कोई संदर्भ नहीं है जिसके द्वारा एन. सी. सी. डी.

अधिरोपित, और 2004 और 2007 के वित्त अधिनियम प्रचलन में नहीं थे। अधिसूचना पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि इसमें अन्य कर्तव्य भी शामिल होने चाहिए थे। अधिसूचना में 2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को उत्पाद शुल्क की प्रकृति में शामिल करने पर विचार नहीं किया जा सकता था। एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर पर शुल्क

शिक्षा उपकर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रकृति में है और इसका मतलब यह नहीं है कि 9.9.2003 की छूट अधिसूचना उन्हें विशेष रूप से तब शामिल करती है जब इसका कोई संदर्भ नहीं है।

वित्त अधिनियम, 2001 के तहत जारी अधिसूचना। 2004 के अधिनियम की धारा 91 और 2007 के अधिनियम की धारा 126 के अनुसार बाद में लगाए गए प्रासंगिक समय पर उपकर से संबंधित छूट देने का कोई सवाल ही नहीं था। 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान धनवापसी पर लागू होंगे, और छूट केवल एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर से छूट देने के लिए शक्ति के स्रोत के संदर्भ में है। बिजली के उक्त स्रोत के तहत छूट प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की प्रकृति में इस तरह के अतिरिक्त कर्तव्यों को छूट देने वाली अधिसूचना के अभाव में, उन्हें छूट नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय ने मोदी रबर लिमिटेड में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करना सही था, जिसके बाद रीटा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। [पैरा 40] [1045-एच; 1046-ए-ई]

2. सीमा शुल्क अधिकारियों में से एक द्वारा बनाए गए प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर जारी 2004 का परिपत्र कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस तरह के परिपत्र का कोई कानूनी बल नहीं है और इसे न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह, द्वारा जारी परिपत्र

2011 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह सेवा कर से संबंधित है और इसका कोई कानून का बल नहीं है और इसे अदालतों द्वारा प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है। एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में नियोजित कारण कि उत्पाद शुल्क शून्य था, इसलिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता है, यह भी अतिरिक्त शुल्क एम/एस के रूप में समान रूप से अस्वीकार्य है।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ

हमेशा निर्धारित किया जा सकता है और केवल छूट दी जा सकती है किसी विशेष उत्पाद शुल्क का सम्मान, उसके आधार पर किसी अन्य शुल्क के निर्धारण के रास्ते में नहीं आ सकता है। द.

प्रस्ताव में आग्रह किया गया है कि केवल इसलिए कि एक प्रकार के शुल्क को छूट दी गई है, अन्य प्रकार के कर्तव्य अपने आप गिर जाते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी गणना करने में कोई कठिनाई नहीं है।

अतिरिक्त शुल्क जो एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के तहत देय हैं। इसके अलावा, वैधानिक

अधिसूचना में विशेष रूप से छूट प्राप्त शुल्क को शामिल किया जाना चाहिए। जब किसी विशेष प्रकार के शुल्क को छूट दी जाती है, तो किसी अलग उद्देश्य के लिए अलग-अलग कानूनों द्वारा लगाए गए अन्य प्रकार के शुल्क या उपकर को लागू नहीं किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि उन्हें छूट दी गई है। [पैरा 41] [1046-एफ-एच; 1047-ए बी]

भारत संघ बनाम। मोदी रबर लिमिटेड (1986) 4 एस. सी. सी. 66 [1986] 3 एस. सी. आर. 587; एक तीन-रीटा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम में न्यायाधीश पीठ। भारत संघ, (1986) एस. सी. सी. सप। 557 - पर भरोसा किया। एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गुवाहाटी, (2018) 1 एस. सी. सी. 105: [2017] 11 एससीआर 43; बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम। भारत संघ और

अन्य, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 421, ने 27.3.2019 पर निर्णय लिया। [2019] 5 स्केल 325-प्रति इन्क्यूरियम।

भारत संघ बनाम। यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज (2019 की सिविल अपील संख्या 7432) ने 19.9.2019 पर निर्णय लिया। (2019)

10 एससीसी 575; बांसवाड़ा में राजस्थान उच्च न्यायालय

सिंटेक्स लिमिटेड v. भारत संघ, (2007) एस. सी. सी. ऑनलाइन राज। 365 ; महानगर रेलवे विक्रेता संघ बनाम भारत संघ और अन्य। (1994) पूरक। 1 एस. सी. सी. 609; महाराष्ट्र राज्य और अन्य। वी. माना आदिम जमात मंडल, एआईआर 2006 एससी 3446: [2006] 2 एससीआर 1142; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। वी. अजय कुमार शर्मा और अन्य। (2016) 15 एस. सी. सी. 289; सुभाष चंद्र और अन्य। वी. दिल्ली

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य। (2009)

15 एससीसी 458 [2009] 12 एससीआर 978; दशरथ

दाउदी बोहरा समुदाय और अन्य। वी. की स्थिति महाराष्ट्र और ओआरएस। (2005) 2 एससीसी 673: [2004]

6 पूरक। एस. सी. आर. 1054-संदर्भित।

[201

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2017] 11 एससीआर 43

इनक्यूरियम के अनुसार

पै

रा 13

इनक्यूरियम के अनुसार

[2019] 5 स्केल 325

पै

रा 13

(2019) 10 एस. सी. सी. 575

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1986] 3 एससीआर 587

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

उस पर भरोसा करें

(1986) एस. सी. सी. सप. 557

पै

रा 38

(1994) पूरक। 1 एस. सी. सी. 609

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2006] 2 एससीआर 1142

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

(2016) 15 एससीसी 289

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

[2009] 12 एससीआर 978

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2014] 11 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1054

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9237

2019 से।

उच्च न्यायालय के 11.05.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 की लिखित याचिका (सी) संख्या 24 में गंगटोक में सिक्किम का न्यायालय

के साथ 2019

की सिविल अपील संख्या 9238।

ध्रुव अग्रवाल, डॉ. अशोक सराफ, नकुल दीवान, सुखबीर सिंह,

गुरु कृष्ण कुमार, के. V.Viswanathan, एस. गणेश, तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री निशा बागची, रुपेश कुमार, सुश्री अरुणा गुप्ता,

धर्मेंद्र गुप्ता, बी. के. प्रसाद, श्रीराम पी. पिंगले, गंगदीप शर्मा, एम. एल. लाहोटी, पबन के. शर्मा, अंचित श्रीपत, हिमांशु शेखर, विशाल गुप्ता, मेसर्स। एपी एंड जे चैम्बर्स, कौशिक चौधरी, मुकुंद राव, पवनश्री अग्रवाल, के. जे. जॉन, मेसर्स। के. जे. जॉन एंड कंपनी अजय के. रॉय, शांतनु त्यागी, सुश्री नंदिता चौहान, रविंदर निझावन, एस. एस. श्रॉफ, राहुल नारायण, शाश्वत गोयल, अजय अग्रवाल, सुश्री मल्लिका जोशी, ईशान नारायण, राजन नारायण, सुश्री कविता झा, सुश्री स्वाति अग्रवाल, सुश्री देविका जैन, कुमार विशालक्ष, उदित जैन, महफूज ए. नाज़की, राणा रंजीत सिंह, विवेक कुमार सिंह, सुश्री आकांक्षा सिंह, शुभोदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, सत्रोप दास, सुश्री नीलिमा त्रिपाठी, सुश्री गुंजन सिंह, के. वी. मोहन, विशाल गुप्ता, सुमित शर्मा, दिव्यांशु गुप्ता, एम/एस।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ

राकेश सिन्हा, पार्थ सिल, पार्थिव के. गोस्वामी, ईशान बिष्ट, विवेक गुप्ता, सुश्री पलक महाजन, सुश्री दीक्षा राय, राघवेंद्र कुमार, सुश्री अरुणा माथुर, सुनील मुरारका, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, सुप्रतिक सरकार, वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, आदित्य भट्टाचार्य, श्रीमती इशिता माथुर, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मोनिका कस्तूरी, क्षितिज वैभव, सुश्री बीना गुप्ता, सुश्री शीओना तकवी, आर. जवाहर लाल, सिद्धार्थ बावा, शैमल आनंद, मयंक क्षीरसागर, निखिल सिंघवी, मोहित सेठ, सुश्री सोनिया दुबे, ओबीरूप घोष, मैसर्स। कानूनी विकल्प, गौरव जुनेजा, आयुष जैन, मेसर्स। खेतान एंड कंपनी, वी. के. सिद्धार्थन, रामेंद्र लाल औडी, बी. कृष्ण प्रसाद, मेसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, सत्य मित्रा, सुश्री हेमंतिका वाही, गोपाल सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलों में शामिल प्रश्न शुल्क के संबंध में है।

इस पर शिक्षा उपकर, उच्च शिक्षा उपकर और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एन. सी. सी. डी.) लगाया जाता है। अपील सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं। उच्च न्यायालय ने माना है कि विचाराधीन कर्तव्य छूट अधिसूचना का हिस्सा नहीं हैं। रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इसलिए, अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कार्यालय के माध्यम से घोषणा की नई औद्योगिक इकाइयों को कर से कुल छूट और 10 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा इकाई का पर्याप्त विस्तार सहित विशिष्ट राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए दिनांकित ज्ञापन

उत्पादन शुरू होने की तारीख से। सिक्किम सरकार ने दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से नई औद्योगिक नीति को अधिसूचित किया, जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों के लिए उपलब्ध सभी वित्तीय प्रोत्साहन सिक्किम राज्य में स्थापित इकाइयों के लिए उपलब्ध होंगे।

4. केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देते हुए दिनांक 9.9.2003 पर एक अधिसूचना जारी की अधिसूचना में और औद्योगिक विकास केंद्र या सिक्किम राज्य के भीतर अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित एक इकाई से मंजूरी दी गई। अधिसूचना के तहत, निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माता को भुगतान करने की आवश्यकता थी

उसकी इकाई से हटाए गए माल पर उत्पाद शुल्क। निर्माता को पहले अंतिम [2019] 17 एस. सी. आर. पर शुल्क देयता के निर्वहन के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करना होगा।

उत्पादों और शुल्कों की शेष राशि का भुगतान व्यक्तिगत खाता (पी. एल. ए.) या चालू खाते, यानी नकद के माध्यम से किया जाना था। इस प्रकार, छूट योजना अंतिम उत्पाद पर दायित्व का निर्वहन करने और फिर नकद में भुगतान किए गए शुल्कों के धनवापसी या पुनः जमा का दावा करने या लाभ उठाने के लिए थी।

5. यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज ने 2006 में एक इकाई की स्थापना की

6. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि निम्नलिखित उत्पाद शुल्क विभिन्न नामों/नामकरण और भारतीय उत्पादों पर दरों के तहत वसूल किए गए थे। अपीलार्थी द्वारा निर्मित और साफ किया गया माउथ फ्रेशनरः

ए। बुनियादी उत्पाद शुल्क @37.5% विज्ञापन मूल्य;

बी। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एन. सी. सी. डी.) 23 प्रतिशत की दर से (वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के तहत);

सी। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (पान मसाला और तंबाकू)

उत्पाद) 5.5 प्रतिशत विज्ञापन मूल्य (वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के तहत); और

डी। 2 प्रतिशत विज्ञापन मूल्य पर शिक्षा उपकर (वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के तहत) कुल मिलाकर 68 प्रतिशत विज्ञापन मूल्य पर

मूल्यमान।

7. अधिसूचना No.71/2003-CE दिनांक 9.9.2003 के अनुसार,

अपीलार्थी उत्पाद शुल्क के उपरोक्त शुल्कों की वापसी का हकदार था। द. उत्तरदाताओं ने लाभ बढ़ाया और उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार अपीलार्थी को धनवापसी प्रदान की। आबकारी अधिकारियों ने उपयोग किया

विशेष महीने के लिए उत्पाद शुल्क के पुनः उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करना। अपीलार्थी उत्पाद शुल्क की राशि को फिर से जमा करता था।

8. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त ने एक प्रदर्शनी जारी की

जुलाई, 2006 से दिसंबर, 2006 की अवधि के लिए एन. सी. सी. डी. की राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए अपीलार्थी की आवश्यकता के लिए दिनांकित कारण सूचना, इस आधार पर कि सिक्किम राज्य में स्थित इकाइयों के लिए अधिसूचना के तहत छूट की अनुमति नहीं थी। अपीलार्थी ने 2.1.2007 दिनांकित उपर्युक्त संचार को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उक्त संचार का कारण दिखाने की स्वतंत्रता के साथ इसका निपटारा किया। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दाखिल किया। 4.7.2007 पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने कारण दर्शाएँ नोटिस, M/S जारी किया।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ

[अरुण मिश्रा, जे।]

यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिक्रिया में व्यक्त किए गए आधार थे

अस्थिर। अपीलार्थी से कारण बताने के लिए कहा गया था कि ब्याज और जुर्माने के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के तहत राशि की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए।

अधिसूचना के दायरे से शुल्क का XXI। इस प्रकार, पान मसाला पर छूट अधिसूचना No.21/2007 के माध्यम से समाप्त हो गई। दिनांक 25.4.2007, जिसे 2007 की अलग रिट याचिका No.22 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 2007 की रिट याचिका (सी) (आई. डी. 3) को अनुमति दी और कहा कि अपीलकर्ता वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस साल के लिए पान मसाला के निर्माण पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार था, अर्थात आई. डी. 1।

10. अपीलार्थी ने कहा कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और शिक्षा उपकर की वापसी के लिए 14 अलग-अलग दावे दायर किए गए थे

ये शुल्क उत्पाद शुल्क भी हैं, जिनके लिए दस साल के लिए छूट दी गई थी। अपीलार्थी ने रद्द करने के लिए गंगटोक में सिक्किम उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 की रिट याचिका (सी) No.24 दायर की

अधिसूचना No.71/2003-CE, छूट को "किसी भी के तहत" तक सीमित करती है

अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिनियम। इस घोषणा के लिए प्रार्थना की गई थी कि छूट अधिसूचना थी

11. 27.3.2008 और 10.6.2008 दिनांकित अधिसूचनाओं के माध्यम से, सेनवेट क्रेडिट का लाभ वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी ने चुनौती दी कि 2008 की रिट याचिका (सी) No.11 के माध्यम से अधिसूचना। उच्च न्यायालय ने 15.11.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया।

12. अक्षय इस्पात एंड फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु, फेरो सिलिकॉन के निर्माता ने एक अन्य अपील दायर की है। इसने 11.3.2004 पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के तहत स्थायी पंजीकरण प्राप्त किया था। भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अध्याय VI के तहत शिक्षा उपकर लागू किया।

अगस्त, 2006 के लिए ब्याज और दंड के साथ शिक्षा उपकर। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद, अगस्त, 2006 और सितंबर, 2006 के लिए शिक्षा उपकर के भुगतान में चूक के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 31.10.2006 का कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था और कार्यवाही की गई थी वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 (3) के तहत उल्लंघन के लिए शुरू किया गया। अपीलार्थी ने एक जवाब भेजा; हालाँकि, 6.12.2006 पर, एक और कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद अपीलार्थी ने 19.12.2006 पर दावा किया

अगस्त, 2004 से मार्च की अवधि के लिए शिक्षा उपकर का पुनर्भुगतान,

2006. मार्च 2007 में, भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 126 के तहत माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर लागू किया। वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 128 (1) ने संकेत दिया कि उक्त उपकर की गणना कैसे की जानी थी। उत्तरदाताओं ने शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर जारी करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। विवादित फैसले से इसे खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने 2007 की रिट याचिका (सी) No.24 और एनसीसीडी और शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर से संबंधित एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें छूट अधिसूचना No.71/2003-सीई के तहत शामिल नहीं किया गया था और अपीलार्थी ने अवैध रूप से इसके संबंध में छूट का लाभ उठाया था। रिट याचिकाओं के खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

13. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर उत्पाद शुल्क का हिस्सा हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय कानून की दृष्टि से गलत है। रिलायंस को एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पर रखा गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गुवाहाटी, (2018) 1 एस. सी. सी. 105 और बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। भारत संघ और अन्य, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 421 ने 27.3.2019 पर निर्णय लिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षा उपकर वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 और 93 द्वारा और उच्च शिक्षा उपकर वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा लागू किया गया था और एन. सी. सी. डी. वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के तहत लगाया गया था। अधिरोपण में है

उत्पाद शुल्क की प्रकृति और उत्पाद शुल्क के किसी अन्य शुल्क के अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ('1944 का अधिनियम') के तहत प्रभार्य। यह भी प्रावधान किया गया है कि 1944 के अधिनियम और नियम एम/एस के प्रावधान।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

जुर्माने का अधिरोपण, जहाँ तक हो सके, उपरोक्त कर्तव्यों के संबंध में लागू होगा। रिलायंस को शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के विषय पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10.8.2004 और 8.4.2011 के परिपत्रों पर भी रखा गया है। 14. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय का निर्णय उचित है और हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। दी गई छूट का लाभ, से।

9.9.2003 उत्पाद शुल्क के भुगतान से अधिसूचना दिनांक 25.4.2007 के माध्यम से वापस ले लिया गया था। सिगरेट सहित तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, सिगार और गुटका को उत्पाद शुल्क से छूट के लाभ से बाहर रखा गया था। 25.4.2007 की अधिसूचना को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम में उलट दिया गया है। यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज (2019 की सिविल अपील संख्या 7432) ने 19.9.2019 पर निर्णय लिया। इसके अलावा, जब छूट अधिसूचना जारी की गई थी, तो एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी नहीं लगाया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि वे छूट अधिसूचना के अंतर्गत आते थे। ऊपर वर्णित कर्तव्य अलग कानून द्वारा लगाया गया था,

जो छूट अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आया था। यह उत्पाद शुल्क की प्रकृति में लगाया गया एक अतिरिक्त शुल्क था। वे छूट अधिसूचना के तहत शामिल नहीं थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इसलिए, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

15. यह विवादित नहीं है कि भारत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति विभाग और

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.1997 के माध्यम से पदोन्नति, नए से संबंधित

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक नीति और रियायतें। विकास केंद्रों और आई. आई. डी. सी. को अगले दस वर्षों के लिए कुल कर मुक्त क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया गया। इन क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियाँ उत्पादन शुरू होने के दस साल तक आयकर और उत्पाद शुल्क से मुक्त होंगी।

16. उक्त अधिसूचना का लाभ सिक्किम राज्य को दिनांकित 17.2.2003 अधिसूचना के माध्यम से दिया गया था। निम्नलिखित लाभ थेः नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों तक विस्तारः

" i) नई औद्योगिक इकाइयाँ और मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ, जैसा कि परिभाषित किया गया है, उनके पर्याप्त विस्तार पर, विकास केंद्र, [2019] 17 एस. सी. आर. में स्थापित।

औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्र (आई. आई. डी. सी.) और अन्य स्थान जैसे औद्योगिक संपदा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य

वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत। थ्रस्ट सेक्टर अनुलग्नक-II में उल्लिखित उद्योग समान अधिकार के हकदार हैं।

क्षेत्र के बिना पूरे सिक्किम राज्य में रियायतें

प्रतिबंध "।

17. सरकार ने दस साल के लिए 100 प्रतिशत आयकर और उत्पाद शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। नीतिगत निर्णय के अनुसार

केंद्र सरकार द्वारा 1944 के अधिनियम की धारा 5 ए (1) द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 ('1957 का अधिनियम') की धारा 3 (3) और उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र वस्तुएं) अधिनियम, 1978 ('1978 का अधिनियम') की धारा 3 (3) के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना No.71/2003 जारी की गई थी, जिसमें सिक्किम राज्य में अनुलग्नक I में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दी गई थी। उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिनियम में से किसी के तहत देय है। संबंधित भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:

" अधिसूचना No.71/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) और उप-धारा

(3) उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त कर्तव्यों की धारा 3 (वस्त्र और

कपड़ा लेख) अधिनियम, 1978 (1978 का 40), केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, इसके द्वारा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दी गई है और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 की 5) की दूसरी अनुसूची, अनुलग्नक I में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा, और औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्र या निर्यात में स्थित इकाई से मंजूरी दी गई है।

पदोन्नति औद्योगिक उद्यान या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक संपदा या योजना क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, सिक्किम राज्य में, यहाँ संलग्न अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट, यूनिकॉर्न उद्योग v.

 उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के इतने अधिक शुल्क से,

यथास्थिति, उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन उस पर अधिरोपणीय

जैसा कि निर्माता द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के बराबर है।

उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के अलावा, उक्त माल का

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 के तहत सेनवैट क्रेडिट।

(जोर दिया गया)

18. वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 में अधिरोपण का प्रावधान है -

सीसीडी। धारा 136 यहाँ नीचे निकाली गई है:

सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुएँ, जो वस्तुएँ हैं निर्मित या उत्पादित, वहाँ लगाया और एकत्र किया जाएगा

संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा, उत्पाद शुल्क,

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कर्तव्य कहा जाए (इसके बाद

राष्ट्रीय आपदा शुल्क के रूप में संदर्भित), निर्दिष्ट दरों पर उक्त अनुसूची में।

(2) माल पर प्रभार्य राष्ट्रीय आपदा शुल्क

सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट इसके अतिरिक्त होगा -

ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य उत्पाद शुल्क का कोई अन्य शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन या

उस समय लागू अन्य कानून।

(3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधान (1)

1944) और इसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें वे भी शामिल हैं

राष्ट्रीय शुल्क और संग्रह के संबंध में के संबंध में इस धारा के तहत देय आपदा शुल्क

सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के रूप में वे

शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में आवेदन करें

उस अधिनियम या उन नियमों के तहत ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क,

जैसा कि मामला हो सकता है "।

(जोर दिया गया)

19. अधिसूचना के माध्यम से शिक्षा उपकर लगाया गया

10.9.2004 वित्त अधिनियम, 2004 के तहत जारी किया गया। धारा 91 और

ई यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 91. शिक्षा उपकर-(1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

धारा 2 की उप-धारा (11) के तहत, [2019] 17 एस. सी. आर. लगाया और एकत्र किया जाएगा।

इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अधिभार के रूप में

संघ के प्रयोजनों के लिए, एक उपकर जिसे शिक्षा उपकर कहा जाएगा,

प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना और

सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा का वित्तपोषण।

(2) केंद्र सरकार उचित विनियोग के बाद संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त ऐसी राशि का उपयोग करना।

2 और यह अध्याय उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जैसा कि यह आवश्यक मान सकता है।

***

93. उपयोग योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर-(1) शिक्षा उपकर धारा 81 के तहत लगाया गया, पहले में निर्दिष्ट माल के मामले में

केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची निर्मित या उत्पादित माल पर उत्पाद शुल्क (में) लगेगा।

इस खंड को उत्पाद शुल्क पर शिक्षा उपकर के रूप में संदर्भित किया गया है

माल), दो प्रतिशत की दर से, कुल मिलाकर गणना की गई

उत्पाद शुल्क के सभी शुल्क (उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क या किसी भी शुल्क सहित)

माल) जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधीन

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के प्रावधान या इसके तहत

उस समय लागू कोई अन्य कानून।

(2) उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर शिक्षा उपकर इसके अतिरिक्त होगा।

ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य किसी अन्य उत्पाद शुल्क के लिए

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या इसके लिए कोई अन्य कानून समय बल में है।

(3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें धनवापसी से संबंधित नियम भी शामिल हैं।

जहां तक हो सके, लेवी और संग्रह के संबंध में लागू होता है उत्पाद शुल्क के संबंध में लागू होने वाली वस्तुओं पर शिक्षा उपकर

ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या नियम, जैसा भी मामला हो।

(जोर दिया गया)

20. केंद्र सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर की शुरुआत की

यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज v के तहत कुल उत्पाद शुल्क के 1 प्रतिशत की दर से ए. टी. आई. एन. उपकर।

वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 126 और 128 पर, जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावाः

" 126. (1) धारा 2 की उप-धारा (12) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में एक उपकर लगाया और एकत्र किया जाएगा, जिसे माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर कहा जाएगा, ताकि सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके और

माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्त।

(2) केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की ऐसी राशि का उपयोग कर सकती है जो उप-धाराओं के तहत लगाई जाती है।

अनुभाग

(12) धारा 2 और इस अध्याय की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जो वह आवश्यक समझे।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 128. (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में धारा 126 के तहत लगाया जाने वाला माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, जो निर्मित या उत्पादित वस्तुएं हैं, उत्पाद शुल्क होगा (इस धारा में निर्दिष्ट)

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के रूप में

माल), एक प्रतिशत की दर से। , उत्पाद शुल्क के सभी शुल्कों (उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क या किसी भी उत्पाद शुल्क सहित) के कुल मिलाकर गणना की जाती है।

उत्पाद शुल्क के अन्य शुल्क लेकिन वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के तहत प्रभार्य शिक्षा उपकर और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को छोड़कर) जो केंद्र सरकार द्वारा मंत्रालय में लगाए और एकत्र किए जाते हैं

वित्त (राजस्व विभाग), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत। (2) उत्पाद शुल्क पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसे सामानों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के अलावा होगा और शिक्षा उपकर देय होगा।

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1944 की धारा 93 के अधीन।

(3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान, जिसमें धनवापसी और [2019] 17 एस. सी. आर. से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

शुल्कों से छूट और जुर्माना लगाना, जहां तक हो सके, शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में लागू होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने के संबंध में लागू होने वाले उत्पाद शुल्क पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर।

21. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष छूट अधिसूचना No.71/2003 दिनांक 9.9.2003 को केवल इस हद तक चुनौती दी कि यह केवल उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1957 के अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क और 1978 के अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क के संबंध में छूट को सीमित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि विभिन्न वित्त अधिनियमों ने इन शुल्कों को लागू किया था, लेकिन वे उत्पाद शुल्क के रूप में वसूली योग्य थे।

उनके नामकरण के बावजूद। अधिसूचना दिनांक 17.2.2003

संकेत दिया कि दस साल के लिए 100 प्रतिशत आयकर और उत्पाद शुल्क में छूट दी गई थी। इस छूट में एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर शामिल होने चाहिए। 2001, 2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों के तहत जारी अधिसूचनाओं द्वारा।

22. विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि उत्पाद शुल्क के लिए 10 प्रतिशत की अवधि के लिए 100 प्रतिशत छूट कब दी गई थी।

आई. डी. 1 पर 1944 के अधिनियम के तहत मूल उत्पाद शुल्क, 1957 के अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क और 1978 के अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क तक सीमित होगा, जिसका विशेष रूप से आई. डी. 1 पर जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया था, या इसमें 2001,2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों द्वारा लगाया गया उपकर/शुल्क भी शामिल है। 23. अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उत्पाद शुल्क की प्रकृति में शुल्क और उपकर को लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से 2001,2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों में धनवापसी और छूट से संबंधित प्रावधानों को देखते हुए, जो लागू किए गए हैं, 1944 के अधिनियम के प्रावधान और छूट से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियम। इस प्रकार, एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और बजाज ऑटो लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसलों को देखते हुए, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए।

24. यह विवाद में नहीं है कि जब 1997 में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए प्रारंभिक छूट अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे बाद में लागू किया गया था 9.9.2003 पर सिक्किम राज्य को। उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान से होने वाले लाभ 1944,1957 और 1978 के अधिनियमों के तहत देय मूल उत्पाद शुल्क तक ही सीमित थे। कोई एम/एस नहीं था।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाए गए एन. सी. सी. डी. का संदर्भ। इसके अलावा, जब अधिसूचना जारी की गई, तो शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, जो 2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों द्वारा लगाया गया था, प्रचलन में नहीं था।

25. एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों पर विचार किया है, जिनके द्वारा शिक्षा और माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर उपकर लगाया गया था।

थोपा गया। उत्तर के लिए दिनांकित 1.4.2007 औद्योगिक नीति के तहत

पूर्वी राज्यों, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.4.2007, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। उक्त अधिसूचना और औद्योगिक नीति पर एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के पैराग्राफ 4 और 5 में चर्चा की गई है, जो हैं -

यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 4. भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ने असम राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज स्थापित करने के लिए दिनांक 1-1 की औद्योगिक नीति की घोषणा की थी।

अधिनियम, 1957 और उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र) अधिनियम, 1978 की धारा 3 (3) उत्तर-पूर्वी राज्यों के भीतर अधिसूचित क्षेत्रों से हटाई गई वस्तुओं के लिए। ने कहा कि अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि निर्धारिती सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत सेनवैट क्रेडिट के उपयोग के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क के अलावा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का हकदार होगा।

“ अधिसूचना सं। : 20 / 2007 - सीई दिनांकित 25-4-2007 उत्तर-पूर्व-सभी वस्तुओं को छूट, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है,

मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम को सेनवैट क्रेडिट के उपयोग के अलावा अन्य शुल्क का भुगतान किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5-ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट देती है, जो अनुलग्नक में उल्लिखित और असम या त्रिपुरा या मेघालय राज्यों में स्थित इकाई से स्वीकृत वस्तुओं के अलावा हैं।

मिजोरम या मणिपुर या नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिनियम के तहत उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के इतने हिस्से से जो राशि के बराबर है। सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के अलावा माल के निर्माता द्वारा भुगतान किया गया शुल्क।

2. ऐसे मामलों में जहां एक निर्माता द्वारा उत्पादित सभी सामान इस अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र हैं, इस अधिसूचना में निहित छूट इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगी कि निर्माता पहले महीने के अंतिम दिन उसे उपलब्ध पूरे सेनवैट क्रेडिट का उपयोग ऐसे महीने के दौरान स्वीकृत माल पर शुल्क के भुगतान के लिए करता है और केवल शेष राशि का भुगतान नकद में करता है।

3. इस अधिसूचना में निहित छूट निम्नलिखित तरीके से प्रभावी होगी, अर्थात्:

(क) निर्माता सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के अलावा भुगतान किए गए शुल्क का विवरण सहायक आयुक्त या उप आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो,

अगले महीने की 7 तारीख तक जिसमें सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि के अलावा शुल्क का भुगतान किया गया है;

(ख) केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसे सत्यापन के बाद, जो आवश्यक समझा जाए, अन्य मामलों में भुगतान की गई शुल्क राशि को वापस कर देगा।

सेनवैट यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज v के उपयोग द्वारा भुगतान की गई शुल्क की राशि से।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत ऋण निर्माता द्वारा विचाराधीन महीना

15 अगले महीने का दिनः

बशर्ते कि उन मामलों में, जहां छूट इस में निहित है

द्वारा उत्पादित कुछ वस्तुओं पर अधिसूचना लागू नहीं होती है। एक निर्माता, इस तरह के धनवापसी में या उसके संबंध में उपयोग किए गए निवेश पर भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में, प्राप्त सेनवेट क्रेडिट की राशि से कम शुल्क की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

इस अधिसूचना के तहत स्वीकृत माल का निर्माण;

(ग) यदि सत्यापन में कोई देरी होने की संभावना है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त, जैसा भी मामला हो,

अगले महीने की 15 तारीख तक अस्थायी आधार पर राशि को विचाराधीन महीने में वापस कर देगा और उसके बाद वापसी की राशि को ऐसी राशि से समायोजित कर सकता है जो बाद के धनवापसी में आवश्यक हो।

निर्माता के लिए स्वीकार्य।

इस कोर्ट आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय में परिपत्रों का भी उल्लेख किया गया है। उसी को अंदर निकाला जाता हैः

" 17. पक्षों के वकील की दलीलों से यह स्पष्ट है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा भी अलग-अलग विचार व्यक्त किए जाते हैं।

उच्च न्यायालय। यहाँ तक कि एक ही न्यायाधिकरण की एक पीठ भी अलग-अलग है

इसके पहले के डिवीजन बेंच के फैसले से। इस परिदृश्य में, यह

यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि विभाग ने इसे कैसे देखा है शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में स्थिति जो

उत्पाद शुल्क पर अधिभार के रूप में देय है, एक बार उत्पाद शुल्क

शुल्क से छूट दी गई है। इस संबंध में दो परिपत्र प्रासंगिक हैं, एक

सर्कुलर दिनांकित 10-8-2004 है जो स्पष्ट करता है कि शिक्षा उपकर

यह उत्पाद शुल्क का हिस्सा है। इस परिपत्र में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं -

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा दिया गया, भारत सरकार और उसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है -

इसके अंतर्गतः " विषयः शिक्षा उपकर लागू करने से संबंधित मुद्दे

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और आयातित वस्तुओं पर, जैसा कि इंगित किया गया है व्यापार और क्षेत्र संरचनाएँ-रेग।

अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि बजट के बाद 2004 घोषणाएँ, कई अभ्यावेदन/संदर्भ

व्यापार के साथ-साथ क्षेत्र से भी प्राप्त किया गया है

उत्पाद शुल्क पर शिक्षा उपकर लगाने से संबंधित संरचनाएं

वस्तुओं और आयातित वस्तुओं पर। उठाए गए अंक और

इन पर स्पष्टीकरण इस प्रकार हैंः मुद्दा (1): क्या उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर शिक्षा उपकर लगाया जा सकता है

उपकर लागू होने से पहले निर्मित लेकिन साफ की गई वस्तुओं पर

इस तरह का उपकर लगाने के बाद?

स्पष्टीकरणः उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर एक नया शुल्क है।

इसी तरह के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि

माल के निर्माण या निर्माण के समय कोई शुल्क नहीं होता है। भारत में उत्पादित, इसे हटाने के चरण में नहीं लगाया जा सकता है

उपकर लागू होने से पहले निर्मित लेकिन बाद में हटाई गई वस्तुएँ इस तरह का उपकर लागू करना।

मुद्दा (2): क्या ऐसी वस्तुएँ जिन्हें उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है

शुल्क/सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना हटा दिया जाता है / सीमा शुल्क (जैसे बांड के तहत निकासी या सीमा शुल्क की पूर्ति)

कुछ शर्तें) उपकर के अधीन होंगी। स्पष्टीकरणः शिक्षा उपकर दो की दर से लगाया जाता है।

उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के सभी शुल्कों के कुल का प्रतिशत

(डंपिंग रोधी शुल्क जैसे सीमा शुल्क के कुछ कर्तव्यों को छोड़कर, सुरक्षा शुल्क, आदि), लगाया और एकत्र किया जाता है। यदि माल पूरी तरह से है

उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क से छूट, के लिए प्रभार्य हैं

शून्य शुल्क या निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के बिना हटा दिया जाता है

प्रक्रिया जैसे बांड के तहत निकासी, कोई संग्रह नहीं है

सदस्य (सीमा शुल्क) द्वारा जारी दिनांकित 21-7-2004 भी हो सकता है "का उल्लेख किया गया है।

(मूल में जोर) "

दिनांकित 10.8.2004 परिपत्र में, संदर्भ दिया गया है

सदस्य (सीमा शुल्क) द्वारा जारी राशन, जिसमें यह कहा गया है कि वहाँ

उत्पाद शुल्क का संग्रह; इसलिए कोई शिक्षा उपकर नहीं लगाया जाएगा

इस तरह की मंजूरी पर विचार करें।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

सेवा कर के संबंध में केंद्रीय बोर्ड xcice और सीमा शुल्क द्वारा दिनांकित 8.4.2011 परिपत्र जारी किया गया था। सेवा के मामले मेंऔर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा को छूट नहीं दी जाएगी।

26. एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर दिए गए) मामले में इस अदालत ने कहा है कि परिपत्र विभाग को बाध्य करते हैं। जब कोई उत्पाद शुल्क नहीं होता तो शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की मांग की जा सकती थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 21. इन दोनों परिपत्रों को पढ़ने से एक पहलू जो स्पष्ट रूप से सामने आता है, वह यह है कि सरकार ने खुद यह रुख अपनाया है कि जहां पूरे उत्पाद शुल्क या सेवा कर को छूट दी गई है, वहां भी

शिक्षा उपकर के साथ-साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय नहीं होगा। ये परिपत्र बाध्यकारी हैं विभाग।

22. अन्यथा भी, हमारी राय है कि वित्त मंत्रालय द्वारा उपरोक्त परिपत्रों में स्पष्ट की गई उपरोक्त स्थिति को स्वीकार करना अधिक तर्कसंगत है। शिक्षा उपकर उत्पाद शुल्क पर है। इसका मतलब है कि जिन कर निर्धारकों को उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, उन्हें शिक्षा उपकर भी देना पड़ता है। यह शिक्षा उपकर वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 की धारा 91 से 93 द्वारा लागू किया गया है। इसकी धारा 91 के अनुसार, शिक्षा उपकर वह अधिभार है जिसका भुगतान निर्धारिती को करना होता है। धारा 93 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह शिक्षा उपकर पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 'उत्पाद शुल्क' 99 पर देय है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985। इसके अलावा, यह शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत की दर से लगाया जाना है और इसकी गणना केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले सभी उत्पाद शुल्कों के कुल पर की जानी है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सरकार। धारा 93 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें धनवापसी और शुल्क आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जहां तक लागू किया जा सके।

कर योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर लगाने और संग्रह करने के संबंध में। इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम के तहत देय उत्पाद शुल्क पर अधिभार के रूप में शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं है, जैसा कि इसे छूट दी गई है, तो कोई शिक्षा उपकर [2019] 17 एस. सी. आर. नहीं होगा।

साथ ही, शिक्षा उपकर @2 प्रतिशत की गणना उत्पाद शुल्क के कुल पर की जानी है। ऐसा नहीं हो सकता अधिभार तब लगता है जब मूल शुल्क शून्य होता है।

***

24. हम राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त कारणों से सहमत हैं क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत के अनुरूप है। इस उद्देश्य के लिए, हम सी. सी. ई. बनाम में निर्णय का उल्लेख करें। टेल्को (1997) 5 एससीसी 275। उस मामले में, मुद्दा उपकर के मूल्यांकन से संबंधित था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विज्ञापन मूल्य "मूल्य" के 1/8 प्रतिशत की दर से लगाया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1/8 प्रतिशत विज्ञापन मूल्य की गणना

मोटर वाहन उपकर के उद्ग्रहण और संग्रह के प्रयोजनों के लिए मोटर वाहन की गणना की जानी चाहिए क्योंकि मोटर वाहन उपकर लगाया जाना था और गणना की जानी चाहिए जैसे कि यह उत्पाद शुल्क था। इसके अलावा शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर उत्पाद शुल्क के 2 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। उत्पाद शुल्क का चरित्र ही "।

वाणिज्यिक उत्पादन में वृद्धि। अधिसूचना दिनांकित 2003 धारा 5 ए के तहत जारी किए गए निर्णय को ऊपर दिए गए निर्णय में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसे नीचे निकाला गया हैः

" सामान्य अपवाद सं। 41

निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं को इकाइयों से छूट

औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक केंद्र में स्थित

अवसंरचना विकास केंद्र या निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक संपदा

या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का योजना क्षेत्र। में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जिसे उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पढ़ा जाता है और उप-धारा यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज v.

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

(3) उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अनुसार, केंद्र सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसलिए पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दी गई है और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 की 5) की दूसरी अनुसूची, अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा, और औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्र या निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान या औद्योगिक संपदा या वाणिज्यिक संपदा या योजना क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, में स्थित एक इकाई से हटा दी गई है, जो यहाँ संलग्न है, उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के पूरे शुल्क से, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिनियमों में से किसी के तहत उस पर अधिरोपणीय है।

डिवीजन बेंच ने एसआरडी के फैसले पर भरोसा किया है

एंटस प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)। बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड में राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय v. भारत संघ, 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन 365, जिसे एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में माना गया था।क), 2004 के परिपत्र के अलावा भी संदर्भित किया गया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार कार्य कियाः

" 21. हम देख सकते हैं कि आक्षेपित क्रम में निहित प्राथमिक तर्क तीन उपकरों, यानी एन. सी. सी. डी. के लिए सामान्य है। शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। ये अन्य अधिनियमों में लगाए गए अधिभारों की प्रकृति में थे, जिन्हें विचाराधीन अधिसूचना के तहत विशेष रूप से बाहर नहीं किया गया है। एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्रा. लि. में निर्णय के कारण यह तर्क प्रबल नहीं होता है। लि. इस प्रकार सवाल यह है कि क्या

यद्यपि एन. सी. सी. डी. एक उत्पाद शुल्क की प्रकृति में है, लेकिन उत्पाद शुल्क के मूल्य के बजाय उत्पाद पर इसकी घटना होने से स्वयं उत्पाद की प्रयोज्यता में कोई अंतर आएगा।

एन. सी. सी. डी. से उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त इकाइयाँ।

22. एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्रा. लि. में न्यायिक निर्णय की उचित सराहना पर। लिमिटेड, हम शिक्षा उपकर और माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा उपकर के लिए लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने के इच्छुक नहीं हैं।

उच्च शिक्षा उपकर, के मुद्दे पर विचार करते हुए भी

एनसीसीडी।

23. हम देख सकते हैं कि यह न्यायालय, एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। लि. बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को अपनी प्रमुखता दी। तर्क यह है कि जबकि वहाँ [2019] 17 एस. सी. आर.

किसी विशेष प्रकार के शुल्क की प्रकृति में देय के रूप में अधिसूचित किया गया है। एन. सी. सी. डी. के मामले में, यह उत्पाद शुल्क की प्रकृति में है। इसका चरित्र उन संबंधित करों के समान होना चाहिए जिन पर अधिभार लगाया जाता है। एन. सी. सी. डी. एक उत्पाद शुल्क नहीं रहेगा, लेकिन उत्पाद शुल्क के समान है, भले ही यह उत्पाद पर लगाया गया हो। इस प्रकार, जब एन. सी. सी. डी. के समय संग्रह, उत्पाद पर शुल्क का स्वरूप लेता है, इसके पीछे जो भी तर्क हो, यह उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रावधानों के अधीन भी है, जो संग्रह के तरीके के साथ-साथ शुल्क का निर्वहन करने के लिए करदाता के दायित्व के रूप में लागू होता है। एक बार उत्पाद शुल्क से छूट मिलने के बाद, उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला एन. सी. सी. डी. एक अलग चरित्र नहीं ले सकता है और इस प्रकार, छूट अधिसूचना का लाभ पाने का हकदार होगा। छूट अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि छूट "उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क या उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क" से है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि छूट स्वयं दस साल की अवधि के लिए है।

इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि।

24. इस प्रकार हमारा विचार है कि अपीलार्थी एन. सी. सी. डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

28. इस न्यायालय की खंड पीठ ने उपरोक्त दोनों निर्णय दिए हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि तीन न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ का बाध्यकारी निर्णय-भारत संघ बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के न्यायाधीश। मोदी रबर लिमिटेड, (1986) 4 एस. सी. सी. 66, इसी तरह के मुद्दे से निपटने के लिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था जब

उपर्युक्त निर्णय लिए गए। 29. मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया है कि दिनांकित अधिसूचनाओं में प्रयुक्त 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।

1.8.1974 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 (1) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। एक सवाल उठा कि क्या 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति का अर्थ केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए गए बुनियादी शुल्क तक सीमित है या इसमें विशेष शुल्क भी शामिल है।

विभिन्न वित्त विधेयकों और अधिनियमों के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क, 1957 के अधिनियम के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क और अन्य प्रकार के

केंद्रीय अधिनियमों के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क का।

एम/एस। यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ

[अरुण मिश्रा, जे।]

30. मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) में, कंपनी थी

टायरों का निर्माता, जो उत्पाद केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत उत्पाद शुल्क के अधीन था। उक्त अधिनियम के तहत 'कर्तव्य' शब्द को नियम 2 (v) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "अधिनियम की धारा 3 के तहत देय शुल्क"। यह छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 के तहत दी गई है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

ऐसी वस्तुओं पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क के पूरे या किसी भाग से। मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के समक्ष विचार के लिए दिनांकित अधिसूचना आई. डी. 1 आई. डी. 1 आई. डी. 1

" 32. उत्पाद शुल्क के विशेष कर्तव्य। — (1) माल के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के साथ प्रभार्य

जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा [2019] 17 एस. सी. आर. के संबंध में जारी की गई किसी भी अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है।

इस प्रकार प्रभार्य शुल्क लगाया और एकत्र किया जाएगा

इस प्रकार की राशि के पाँच प्रतिशत के बराबर उत्पाद शुल्क का विशेष शुल्क

ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य।

(2) 31 तारीख के बाद उप-धारा (1) का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 का उपबंध इन पर लागू होगा - उपकरकर्ता मानो उक्त उप-धारा तब निरस्त कर दी गई हो।

एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा।

(3) उप-धारा में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क

(1) प्रभार्य किसी भी उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर

उस समय लागू अन्य कानून।

(4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियमों के प्रावधान

इसके तहत किया गया, जिसमें धनवापसी से संबंधित भी शामिल हैं और शुल्कों से छूट, जहाँ तक हो सके, लागू होगी।

विशेष शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में

माल जैसा कि वे लेवी और संग्रह के संबंध में लागू होते हैं उस अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का या

वे नियम जो जैसी भी स्थिति हो "।

(जोर दिया गया)

32. धारा 32 के प्रावधान इसके समान हैं -

विचाराधीन वित्त अधिनियम (ओं) के उपर्युक्त प्रावधान। वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 32 के तहत लगाया गया विशेष शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य उत्पाद शुल्क के अलावा था और इसके तहत बनाए गए नियम, धनवापसी और शुल्कों से छूट के संबंध में, जहां तक हो सके, वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 32 के प्रावधानों के तहत प्रभार्य उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के लेवी और संग्रह पर लागू होंगे।

33. निर्धारिती मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) ने दावा किया कि

दिनांक 1.8.1974 की अधिसूचना को देखते हुए, निर्धारिती को न केवल केंद्रीय सरकार के तहत लगाए गए बुनियादी उत्पाद शुल्क के संबंध में भुगतान से छूट दी गई थी। उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, लेकिन संबंधित वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के संबंध में भी, क्योंकि अधिसूचना में उपयोग की गई भाषा प्रतिबंधात्मक नहीं थी और यह आम तौर पर बिना किसी योग्यता के 'उत्पाद शुल्क' के लिए संदर्भित थी, इसलिए इसमें उत्पाद शुल्क एम/एस के सभी शुल्क शामिल थे।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

चाहे वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत लगाया गया हो। यह विवाद नवंबर 1979 से अक्टूबर 1982 तक की अवधि से संबंधित था।

34. मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने कहा कि दिनांक 1 की अधिसूचना के तहत दी गई छूट, वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क के विशेष संबंध में उपलब्ध नहीं थी। निर्धारिती ने इसके बाद दाखिल किया सहायक आबकारी कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के दावे को बरकरार रखा। इसने यह विचार रखा कि 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति में न केवल केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क का मूल शुल्क शामिल है, बल्कि विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क का विशेष शुल्क और केंद्रीय अधिनियम के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क का कोई अन्य शुल्क भी शामिल है। इस बीच, संसद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1982 भी लागू किया, जिसमें वैधानिक नियम निर्धारित किए गए हैं जो अदालत को अधिसूचनाओं की व्याख्या करने में मार्गदर्शन करेंगे।

उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट और उन शर्तों को निर्धारित करना जिन पर शुल्क के भुगतान से छूट देने वाली अधिसूचना

उत्पाद शुल्क को किसी भी केंद्रीय कानून के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क पर लागू माना जा सकता है जो केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ऐसे केंद्रीय कानून के तहत उत्पाद शुल्क के लेवी और संग्रह पर लागू करता है।

35. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न उठा कि 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति का वास्तविक महत्व क्या है

1.8.1974 और 1.3.1981 दिनांकित अधिसूचनाएँ और क्या इसमें न केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत बल्कि किसी अन्य अधिनियम के तहत भी देय उत्पाद शुल्क शामिल हैं। 36. इस न्यायालय ने मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में अधिसूचनाओं के उद्देश्य और उल्लिखित विशिष्ट प्रावधानों पर विचार किया है।

इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 2 (v) के तहत परिकल्पित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के प्रावधानों के आलोक में छूट पर विचार किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, विशेष उत्पाद शुल्क और सहायक उत्पाद शुल्क को शामिल करने का कोई विस्तारित अर्थ नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 6. इन तथ्यों पर विचार करने के लिए पहला सवाल यह है कि 1 अगस्त, 1974 और 1 मार्च, 1981 की अधिसूचनाओं में "उत्पाद शुल्क" शब्द का सही अर्थ क्या है। यह केवल तभी है जब इस अभिव्यक्ति को उत्पाद शुल्क [2019] 17 एस. सी. आर. को शामिल करने के लिए माना जाता है।

न केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत, बल्कि किसी भी अन्य अधिनियम के तहत यह सवाल उठेगा कि क्या केंद्रीय कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1982 संवैधानिक रूप से अमान्य है। इसलिए, हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से कहा कि वे 1 अगस्त, 1974 और 1 मार्च, 1981 की अधिसूचनाओं में 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति की व्याख्या के पहले प्रश्न तक ही अपनी दलीलें सीमित रखें।

7. ये दोनों अधिसूचनाएँ, जैसा कि उद्घाटन भाग से पता चलता है, जारी की जाती हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (1) के तहत और चूंकि नियम 2 में 'शुल्क' की परिभाषा, खंड (v) को अनिवार्य रूप से नियम 8 (1) में पेश किया जाना चाहिए और नियम 8 (1) में "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति को उस परिभाषा के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। नियम 8 (1) के तहत जारी इन दो अधिसूचनाओं में उपयोग की गई अभिव्यक्ति की व्याख्या भी उसी अर्थ में की जानी चाहिए, अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क और

इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत दी गई छूट को केवल उत्पाद शुल्क तक ही सीमित माना जाना चाहिए। लेकिन उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति बहुत बड़ी थी।

आयाम और किसी भी प्रतिबंधात्मक या सीमित शब्दों के अभाव में यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क को संदर्भित करना था, इसे उत्पाद शुल्क के सभी शुल्कों को कवर करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, चाहे वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने योग्य हों। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 या किसी अन्य अधिनियम के तहत। प्रत्यर्थियों ने इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि जब भी केंद्र सरकार किसी अधिसूचना के तहत दी गई छूट को उत्पाद शुल्क तक सीमित रखना चाहती है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय, केंद्र सरकार ने इसका उपयोग करके अपना इरादा बहुत स्पष्ट कर दिया।

1955 , अधिसूचना संख्या 255/77-सी. ई. दिनांक 20 जुलाई, 1977, अधिसूचना सं। सीईआर-8 (1)/55-सी. ई. दिनांक 2 सितंबर, 1955, अधिसूचना सं। सीईआर-8 (9)/55-सी. ई. दिनांक 31 दिसंबर, 1955, अधिसूचना संख्या 95/61-सी. ई. दिनांक 1 अप्रैल, 1961, अधिसूचना संख्या 23/55-सी. ई. दिनांक 29 अप्रैल, 1955 और इसी तरह की अन्य अधिसूचनाएँ।

क्योंकि, प्रारूपण के मामले में, केंद्र सरकार ने कुछ अधिसूचनाओं में विशेष रूप से उत्पाद शुल्क का उल्लेख किया है जिसके संबंध में छूट "उत्पाद शुल्क" के रूप में दी जाती है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय, यह नहीं है कि विशिष्टता के ऐसे शब्दों के अभाव में, "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति को स्वयं ही उत्पाद शुल्क के सभी शुल्कों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। यह असामान्य नहीं है कि कभी-कभी विधायिका, अपने इरादे को संदेह से परे स्पष्ट करने की दृष्टि से, भाषा का उपयोग करती है।

कड़ाई से आवश्यक नहीं हो सकता है और इसके बिना भी समान हो सकता है

इरादे को न्यायिक निर्माण के मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है और यह कार्यपालिका द्वारा अधीनस्थ कानून के मामले में अधिक होगा। कार्यकारी विभाग में अधीनस्थ विधान के किसी विशेष टुकड़े का मसौदा तैयार करने वाला अधिकारी इस दृष्टि से शब्दों का उपयोग कर सकता है कि इसके इरादे के बारे में संभावित संदेह की कोई गुंजाइश न रहे या कभी-कभी अधिक पूर्णता के लिए भी, हालांकि ये शब्द अधीनस्थ विधान के अर्थ और दायरे में कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ, वर्तमान अधिसूचनाओं में, कर्तव्य शब्द केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क को उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा की गई अन्य अधिसूचनाओं की तरह कोई स्थान नहीं मिलता है। लेकिन, यह आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है कि इन अधिसूचनाओं में "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति का उद्देश्य विशेष और उत्पाद शुल्क सहित सभी उत्पाद शुल्कों को संदर्भित करना था।

उत्पाद शुल्क के सहायक शुल्क। इन शब्दों की अनुपस्थिति हमें "कर्तव्य" अभिव्यक्ति की व्याख्या करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है।

इन अधिसूचनाओं में "उत्पाद शुल्क"। हमें अभी भी इस अभिव्यक्ति का अर्थ निकालना है-इसका अर्थ और महत्व क्या है-और यह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया जाना है जिसमें यह होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अधिसूचनाएँ [2019] 17 एस. सी. आर. जारी की जा चुकी हैं।

नियम 8 (1) के तहत, इन अधिसूचनाओं में 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होना चाहिए जो नियम 8 (1) में है और इसका अर्थ स्पष्ट रूप से है-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क जैसा कि नियम 2 खंड (v) में परिकल्पित है। इन परिस्थितियों में इसका कोई विस्तारित अर्थ नहीं हो सकता है जिसमें विशेष उत्पाद शुल्क और सहायक उत्पाद शुल्क शामिल हों।

कर्तव्य "।

37. यह अदालत मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) में आगे

प्रदान किया गया और यदि हां, तो किस हद तक और केवल उत्पाद शुल्क के संदर्भ में हो सकता है जो तब देय है, भविष्य में लगाया जाने वाला शुल्क नहीं है। इस अदालत ने मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) में दृढ़ता से खारिज कर दिया यह तर्क कि यह भविष्य में लगाए जाने वाले कर्तव्यों को शामिल करेगा जो प्रासंगिक समय पर प्रचलित नहीं हैं:

1 अगस्त, 1974 की अधिसूचना में "उत्पाद शुल्क" शब्द को संभवतः उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क को समझने के रूप में पढ़ा जा सकता है जो इस अधिसूचना की तारीख पर मौजूद नहीं था और लगभग चार साल बाद लगाया गया था। जब इस अधिसूचना की तारीख को उत्पाद शुल्क का विशेष शुल्क मौजूद नहीं था, तो केंद्र सरकार इस अधिसूचना को जारी करते हुए विशेष उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देने का इरादा कैसे रख सकती थी? अनुमान यह है कि जब केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देने वाली अधिसूचना जारी की जाती है
नियम 8 (1) के तहत, केंद्र सरकार ने इस सवाल पर अपना दिमाग लगाया होगा कि क्या छूट दी जानी चाहिए और यदि हां, तो किस हद तक। और जाहिर है, यह केवल एम/एस के साथ हो सकता है।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

उत्पाद शुल्क का संदर्भ, जो तब देय होता है। यह नहीं माना जा सकता था कि केंद्र सरकार ने भविष्य में अपना मन लगाया है और उत्पाद शुल्क के संबंध में छूट दी है

उत्पाद शुल्क के ऐसे शुल्क के भुगतान से और केंद्र सरकार को तब इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना होगा और उत्पाद शुल्क की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखते हुए और जिस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए इसे लगाया जाता है और आर्थिक आपूर्ति और मांग की स्थिति सहित, यह तय करें कि क्या इस तरह के उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए और यदि हां, तो किस हद तक। यह कहना बेतुका होगा कि 1 अगस्त, 1974 की अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार ने न केवल छूट देने का इरादा किया था।

उस समय प्रचलित उत्पाद शुल्क के साथ-साथ भविष्य में लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के संबंध में भी जो समय-समय पर लगाया जा सकता है।

38. इस न्यायालय ने मोदी रबर लिमिटेड (उपर्युक्त) मामले में वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 32 के प्रावधानों पर भी विचार किया, जिसमें 1944 के अधिनियम के प्रावधानों पर विशेष शुल्क लगाने को लागू किया गया था।

धनवापसी और शुल्कों से छूट से संबंधित इसके तहत बनाए गए नियम। वे, जहाँ तक हो सके, उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में लागू होंगे जैसा कि वे 1944 के अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह पर लागू होते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि शक्ति के स्रोत के बारे में वित्त अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रावधानों के संदर्भ में, जिसके तहत 1.8.1974 और 1.3.1981 दिनांकित अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत दी गई छूट वित्त अधिनियम, 1979 तक विस्तार योग्य थी। यह केवल 1944 के अधिनियम के तहत देय उत्पाद शुल्क तक सीमित था। इन दोनों अधिसूचनाओं में 'उत्पाद शुल्क' शब्द को वैध रूप से उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क को समझने के रूप में नहीं माना जा सकता है। छूट को आकर्षित करने के लिए केवल शक्ति के स्रोत का संदर्भ पर्याप्त नहीं है और उसमें जारी अधिसूचना से क्या छूट दी गई है। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि किसी अन्य क़ानून के संदर्भ के बिना केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के तहत जारी छूट देने वाली अधिसूचना के मामले में, छूट को सीमित [2019] 17 एस. सी. आर. के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के तहत देय उत्पाद शुल्क। इसमें ऐसे विशेष या किसी अन्य प्रकार के उत्पाद शुल्क को शामिल नहीं किया जा सकता है।

मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) में अदालत ने इस पर चर्चा की है

वित्त अधिनियम, 1979 इस प्रकार हैः

कि केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें धनवापसी और शुल्कों से छूट से संबंधित नियम भी शामिल हैं, उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में, जहां तक हो सके, केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में लागू होंगे। प्रत्यर्थियों की ओर से यह आग्रह किया गया कि इस प्रावधान के कारण, उत्पाद शुल्क से छूट से संबंधित नियम 8 (1) उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह के संबंध में लागू हो गया और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा नियम 8 (1) के तहत उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के भुगतान से छूट उसी तरह दी जा सकती है जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क के संबंध में दी जा सकती है। इस आधार पर उत्तरदाताओं का तर्क था कि नियम 8 (1) को उस शक्ति के स्रोत के रूप में संदर्भित करना जिसके तहत 1 अगस्त, 1974 और 1 मार्च, 1981 की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, इसलिए इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उत्पाद शुल्क जिसमें से इन दो अधिसूचनाओं के तहत छूट दी गई थी, केवल केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क तक सीमित था और इन दो अधिसूचनाओं में "उत्पाद शुल्क" अभिव्यक्ति को वैध रूप से उत्पाद शुल्क के विशेष अर्थ के रूप में माना जा सकता है। यह

हमारी राय में, तर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि जब छूट देने वाली अधिसूचना

उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है यू. एन. आई. सी. ओ. एन. आई. एस. आई. एस. वी. के बिना नियम 8 (1) सरलीकरण के तहत शक्ति का प्रयोग।

भारत और अन्य का संघ

[अरुण मिश्रा, जे।]

कुछ भी अधिक, यह 'कर्तव्य' की परिभाषा के कारण होना चाहिए

उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क के संबंध में छूट देने के लिए, लेकिन संदर्भ धारा 32 की उप-धारा (4) या अन्य समान प्रावधान के साथ पढ़े जाने वाले नियम 8 (1) के लिए होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि ध्यान दें कि इन सभी वर्षों के दौरान, जब भी केंद्र सरकार द्वारा विशेष उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देने की मांग की जाती है, तो छूट देने वाली अधिसूचना में शक्ति के स्रोत का पाठ निश्चित रूप से होता है।

नियम 8 (1) को उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क लगाने वाले कानून के प्रासंगिक प्रावधान के साथ पढ़ा गया, जिसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान शामिल हैं -

शुल्क से छूट लागू की जाती है। उदाहरण के लिए, 1 अगस्त, 1978 की अधिसूचना संख्या 63/78 को लें, जहाँ

"वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उपखंड (1) के तहत उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के पूरे विशेष शुल्क से" कुछ उत्पाद शुल्क वस्तुओं के संबंध में छूट दी गई है। इस अधिसूचना में पढ़ी गई शक्ति का स्रोत है "उप-नियम (1)

वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उपखंड (5) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 का। इसी प्रकार 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 29/79 में भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष वस्तुओं) दोनों के तहत गैर-निर्मित तंबाकू को उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

महत्व) अधिनियम, 1957 ", अधिसूचना के शुरुआती भाग में उल्लिखित शक्ति के स्रोत का संदर्भ केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 का उप-नियम (1) है जिसे उप-धारा [2019] 17 एस. सी. आर. के साथ पढ़ा जाता है।

(3) उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व के सामान) अधिनियम, 1957 की धारा 3 "। प्रत्यर्थियों ने वास्तव में उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क या उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के संबंध में छूट देने वाली कई अधिसूचनाएं प्रस्तुत की हैं और इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में, हम पाते हैं कि बिजली के स्रोत को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क लगाने वाले क़ानून के प्रासंगिक प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है, जिसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधान और शुल्क से छूट से संबंधित नियमों को लागू किया जाता है। इसके अलावा, इन सभी के तहत दी गई छूट

अधिसूचना विशेष रूप से उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क को संदर्भित करती है या उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क, जैसा भी मामला हो। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां छूट देने वाली अधिसूचना केवल जारी की जाती है

इसके तहत ऐसे कानून के तहत लगाए गए विशेष, सहायक या किसी अन्य प्रकार के उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह पर लागू, छूट को केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क तक सीमित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसमें ऐसे विशेष, सहायक या अन्य प्रकार के उत्पाद शुल्क शामिल नहीं हो सकते हैं। द. वर्तमान मामले में अधिसूचनाएँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत किसी अन्य क़ानून के संदर्भ के बिना जारी की गई थीं और इसलिए इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत दी गई छूट को केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क तक सीमित माना जाना चाहिए।

मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने यह भी माना है कि छूट विशेष प्रावधान के तहत दी गई है; यह अलग-अलग अधिनियमों के तहत लगाए गए किसी भी अन्य प्रकार के उत्पाद शुल्क पर होगी। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 10. हम संयोग से उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलों में अधिसूचना के संबंध में व्याख्या का सवाल भी उठाया गया था।

8 नवंबर, 1967 की सं. 249/67 के साथ ट्रैक्टरों के लिए टायरों को "केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद 16 के तहत उस पर लगाए जाने वाले शुल्क से छूट, जो 15 प्रतिशत से अधिक है"। उत्तरदाताओं का तर्क

अपीलों में यह था कि इस एम/एस के तहत दी गई छूट।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क, उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क और अन्य अधिनियमों के तहत देय उत्पाद शुल्क के सहायक शुल्क तक भी विस्तारित थी। यह तर्क स्पष्ट रूप से

यह इस अधिसूचना की भाषा के विपरीत है। यह स्पष्ट है

और उनके सादे प्राकृतिक निर्माण पर छूट की सीमा, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि छूट केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क के संबंध में है और इसमें किसी अन्य प्रकार का उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है। इस प्रश्न के संबंध में केवल उल्लेख के अलावा और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इस अधिसूचना की भाषा में
"।

अपीलों को अनुमति दी गई और यह माना गया कि उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के संबंध में छूट उपलब्ध नहीं थी।

उत्पाद शुल्क या सहायक उत्पाद शुल्क। रीटा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ। भारत संघ, 1986 एस. सी. सी. सप. 557 , मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) के निर्णय का पालन किया है। मोदी रबर लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय पूरी तरह से इस मुद्दे को शामिल करता है और एक समन्वित पीठ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 39. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 8 केंद्र सरकार को किसी भी उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए अधिकृत करता है।

ऐसे माल पर संपूर्ण या शुल्क का कोई हिस्सा देय है। नियम 8 को नीचे निकाला गया हैः

मामले। (1) केंद्र सरकार समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी उत्पाद शुल्क से छूट (ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं) दे सकती है। (2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में किसी भी उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दे सकता है। ”

'शुल्क' शब्द को नियम 2 (v) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है अधिनियम के तहत लगाया गया शुल्क।

40. वर्तमान मामले में जारी अधिसूचना दिनांक 9.9.2003 से यह स्पष्ट होता है कि छूट [2019] 17 एस. सी. आर. अधिनियम की धारा 5 ए के तहत दी गई थी।

1944 , 1957 के अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क और 1978 के अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के संबंध में। जमीन पर इस पर सवाल उठाए गए थे

कि उसने केवल उसमें निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत सीमित छूट का प्रावधान किया है। वित्त अधिनियम, 2001 का कोई संदर्भ नहीं है जिसके द्वारा एन. सी. सी. डी. लागू किया गया था और 2004 और 2007 के वित्त अधिनियम प्रचलन में नहीं थे। अधिसूचना पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि इसे होना चाहिए था

इसमें अन्य कर्तव्य भी शामिल थे। अधिसूचना में 2004 और 2007 के वित्त अधिनियमों द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को उत्पाद शुल्क की प्रकृति में शामिल करने पर विचार नहीं किया जा सकता था। एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर शुल्क अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रकृति में है और इसका मतलब यह नहीं है कि 9.9.2003 की छूट अधिसूचना उन्हें विशेष रूप से तब शामिल करती है जब वित्त अधिनियम, 2001 के तहत जारी अधिसूचना का कोई संदर्भ नहीं है। देने का सवाल ही नहीं था।

2004 के अधिनियम की धारा 91 और 2007 के अधिनियम की धारा 126 के अनुसार उपकर से संबंधित छूट प्रासंगिक समय पर प्रचलन में नहीं थी। 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान धनवापसी पर लागू होंगे, और छूट केवल एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर से छूट देने के लिए शक्ति के स्रोत के संदर्भ में है। बिजली के उक्त स्रोत के तहत छूट प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। एक के अभाव में

शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की प्रकृति में ऐसे अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए छूट वाली अधिसूचना, उन्हें छूट नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय ने मोदी मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करना सही था।

रबर लिमिटेड (ऊपर), जिसके बाद रीटा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ आई है। 41. सीमा शुल्क अधिकारियों में से एक द्वारा बनाए गए प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर जारी 2004 का परिपत्र कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस तरह के परिपत्र का कोई कानूनी बल नहीं है और इसे न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र

और 2011 में सीमा शुल्क का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह सेवा कर से संबंधित है और इसका कोई कानून का बल नहीं है और इसके बारे में बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है न्यायालय द्वारा प्रावधानों की व्याख्या। एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में नियोजित कारण कि उत्पाद शुल्क शून्य था, जैसे कि अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता है, भी उतना ही अस्वीकार्य है क्योंकि अतिरिक्त शुल्क हमेशा निर्धारित किया जा सकता है और केवल एक विशेष उत्पाद शुल्क के संबंध में दी गई छूट, उसके आधार पर एक और शुल्क के निर्धारण के रास्ते में नहीं आ सकती है। प्रस्ताव में आग्रह किया गया कि केवल इसलिए कि एक प्रकार के शुल्क को छूट दी गई है, अन्य प्रकार के एम/एस।

यूनिकॉर्न उद्योग बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

शुल्क अपने आप गिर जाते हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अतिरिक्त शुल्कों की गणना करने में कोई कठिनाई नहीं है, जो एन. सी. सी. डी., शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के तहत देय हैं।

इसके अलावा, वैधानिक अधिसूचना में विशेष रूप से कर्तव्य शामिल होना चाहिए। छूट दी गई है। जब किसी विशेष प्रकार के शुल्क को छूट दी जाती है, तो किसी अलग उद्देश्य के लिए अलग-अलग कानूनों द्वारा लगाए गए अन्य प्रकार के शुल्क या उपकर को छूट नहीं दी जा सकती है।

42. छोटी पीठ पर बड़ी पीठ का निर्णय बाध्यकारी है जो इस न्यायालय द्वारा महानगर जैसे कई निर्णयों में लिया गया है। रेलवे विक्रेता संघ बनाम भारत संघ और अन्य। (1994) पूरक। 1 एस. सी. सी. 609, महाराष्ट्र राज्य और अन्य। वी. माना आदिम जमात

मंडल, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3446 और उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। वी. अजय कुमार शर्मा और अन्य। (2016) 15 एससीसी 289। एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती की अज्ञानता और/या एक प्रावधान की अज्ञानता में दिया गया निर्णय सुभाष चंद्र और अन्य में इनक्यूरियम के अनुसार माना गया है। वी. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य। (2009) 15 एस. सी. सी. 458, दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2014) 9 एस. सी. सी. 129, और दाउदी बोहरा समुदाय और अन्य का केंद्रीय बोर्ड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2005) 2 एससीसी 673। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक छोटी पीठ एक बड़ी पीठ द्वारा लिए गए विचार से असहमत नहीं हो सकती है।

43. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एस. आर. डी. न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड और बजाज ऑटो लिमिटेड (उपरोक्त) का निर्णय लेने वाली खंड पीठ के समक्ष,

सम्मानपूर्वक उनका पालन करें। हमें एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए कोई आधार नहीं मिला। 44. नतीजतन, हमें अपीलों को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है, और अपीलें

बर्खास्त कर दिए जाते हैं। कोई लागत नहीं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान